बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

संख्या–नि०को०–11/2023–2309 /वि०स०। सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या–नि0को0–3/2018–5650, दिनांक 04.10.2018 के क्रम में बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) एवं (ग) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग अन्तर्गत कार्यालय परिचारी के पदों पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते है:–

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2025 कही जा सकेगी।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2018 के परिशिष्ट अंतर्गत समूह–6 में उल्लिखित कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भरती हेतु पद्धतियाँ वही होगी जो इस अधिसूचना के साथ संलग्न 'परिशिष्ट' में वर्णित है।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

09/08/2025

(राम कुमार यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–11/2023–2310 /वि०स०, पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/08/2025

(राम कुमार यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–11/2023– 2310 /वि०स०, पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

09/08/2025

(राम कुमार यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–11/2023– 2310 /वि०स०, पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

प्रतिलिपि:–निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

09/08/2025

(राम कुमार यादव)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–11/2023– 2310 /वि०स०, पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार सरकार का सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि यथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 (पच्चीस) प्रतियाँ सभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जाय।

09/08/2025

(राम कुमार यादव)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

ज्ञापांक–नि०को०–11/2023– 2310 /वि०स०, पटना, दिनांक– 09 अगस्त, 2025 ई०।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अनुलग्नक सहित सभा सचिवालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

09/08/2025

(राम कुमार यादव)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना।

बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2025

परिशिष्ट

बिहार विधान सभा सचिवालय में कार्यालय परिचारी की सीधी भर्ती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन आदि के निर्धारण के संबंध में विनियमन :-

पद्धति/आकार/अंक :- अभ्यर्थियों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर सर्वप्रथम एक कम्प्यूटर/ओ0एम0आर0 आधारित (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियो का साक्षात्कार लिया जायेगा।

1. प्रारंभिक परीक्षा :-

प्रारंभिक परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे:-

(क) सामान्य अंक गणित
(ख) सामान्य ज्ञान
(ग) सामान्य हिन्दी

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

2. पाठ्यक्रम : लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से होगा:-

➢ सामान्य अंक गणित – 30 प्रश्न

लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ–हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात।

➢ सामान्य ज्ञान – 40 प्रश्न

- संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।
- संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र–राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की समाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।
- मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।
- भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।
- प्रकाश–परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रसायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
- समसामयिक घटनायें।

➢ सामान्य हिन्दी – 30 प्रश्न

- संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द–शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग।
- 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

3. क्वालीफाइंग मार्क्सः–

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2374, दिनांक–16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

4. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 10 (दस) गुणा अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।

5. प्रारंभिक परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगी। प्रारंभिक परीक्षा केवल साक्षात्कार के लिए अर्हक (Qualifying) होगी।

6. साक्षात्कार :–

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्त्तें) नियमवावली, 2018 में विहित प्रावधान के तहत होगी। साक्षात्कार का पूर्णांक 100 अंकों का होगा।

7. मेधा सूची :–

कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी।